

18/8/22

पत्रावली पेश हुमी। प्राथमिक व वकील  
पुर्ण अड्डा। बार-बार आवाज लगावामी  
गमी। आवाज लगावने के उपरान्त भी  
प्राथमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं  
आया। अतः प्राथमिक का प्रार्थना पत्र अदम  
हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता  
है। पत्रावली दोनल शुद्ध होकर नम्बर से  
कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(वृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमगढ़ाना (सीकर)

